हुज्जीयते हदीस
और
क्या हर हदीस हदीसे रसूल है?

शम्स पीरज़ादा (रह.)

हिंदी अनुवाद ; **मुहम्मद नसरुल्लाह (एम.ए.)**

इदारा दअ्वतुल क़ुर्आन
५९, मुहम्मद अली रोड, मुंबई-४००००३
फोन ; २३४६५००५

..... 1st Edition, June. 2021
.....1,000 **Price Rs. 20/-**

हुज्जीयते हदीस
और
क्या हर हदीस हदीसे रसूल है?

शम्स पीरज़ादा (रह.)

हिंदी अनुवाद ; मुहम्मद नसरुल्लाह (एम.ए.)

इदारा दअ्वतुल क़ुर्आन
५९, मुहम्मद अली रोड, मुंबई-४००००३
फोन ; २३४६५००५

..... 1st Edition, June. 2021
.....1,000 Price Rs. 20/-

विषय सूची

पृष्ठ	शीर्षक
३.	प्रकाशक के विचार
५.	प्रस्तावना
७.	हदीस की अहमीयत
९.	हदीस का इनकार
१०.	हदीस और सुन्नत का फर्क
१२.	हदीस की किताबत
१४.	तदवीने हदीस
१५.	हदीस की किसमें
१८.	ज़ईफ हदीस हुज्जत नहीं
२२.	असमाउर रिजाल (रावियों के अहवाल)
२४.	दिरायत
२९.	हदीस जब क़ुर्आन और सुन्नत के ख़िलाफ़ हो
३०.	मौज़ूअ हदीस (गढ़ी हदीस)
३१.	हदीसें गढ़े जाने के कारण
३५.	वाजिईन हदीस (हदीसें गढ़ने वाले)
३६.	उसूलुल काफ़ी
३७.	रिवायत परस्ती
३८.	हदीस के मामले में एतिदाल की राह

नोटः- सहाबा किराम के नामों के साथ रज़ियल्लाहु अन्हु लिखना अच्छा है लेकिन हर जगह ज़रूरी नहीं, चुनांचे हदीस के रावी हर जगह इस का एहतिमाम नहीं करते, इस लिए जहां इस का एहतिमाम नहीं किया गया है उस पर एतिराज करने की कोई ज़रूरत नहीं ।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

(अल्लाह के नाम से जो रहमान व रहीम है)

प्रकाशक के विचार

मौलाना शम्स पीरज़ादा रहमतुल्लाह अलैह ने सही तरीन हदीसों पर आधारित दो संकलन ''तनवीरुल हदीस'' मुसलमानों की तरबियत के लिए और ''जवाहिरुल हदीस''देश के अन्य भाईयों के ज़ेहन को सामने रख कर उन की इस्लाह की ख़ातिर संकलित किए थे, जिन्हें लोगों ने बहुत पसंद किया ।

यह छोटी सी पुस्तिका ''हुज्जीयते हदीस और क्या हर हदीस हदीसे रसूल है?'' मौलाना मरहूम के तहक़ीक़ी ज़ेहन का कारनामा है, हदीस के मामले में आप बहुत एहतियात से काम लेते थे, ऐसी हदीसें जो रिवायत के लिहाज से कितनी ही विश्वस्नीय हो लेकिन क़ुरआन की तालीमात से टकराती हों उन पर कलाम करने से जरा भी संकोच न करते और ज़ईफ़ से ज़ईफ़ हदीस जो क़ुरआन की मूल शिक्षा से मेल खाती उस को लेने में उदारता से काम लेते।

यह पुस्तिका आम मुसलमानों को हदीस का इल्म हासिल करने के लिए बेहतरीन तोहफ़ा है, इल्मे हदीस की बड़ी बड़ी किताबें पढ़ना हर मुसलमान के बस की बात नहीं । मौलाना मरहूम ने इस इल्म के सागर को (कूज़ः) सकोरा में भर दिया हो । इस पुस्तिका के अध्ययन से आम आदमी को इल्मे हदीस के बारे में अच्छी ख़ासी बुनियादी बातें मालूम हो जाऐंगी, मिसाल के तौर पर हदीस की अहमियत, हदीस के इन्कार का फ़ितना, हदीसों की क़िस्में, अस्माउर्रिजाल, रिवायत व दिरायत वग़ैरह इस में ज़ईफ़ हदीसों की हक़ीक़त और सही हदीसों को पहचानने का तरीक़ा भी बताया है ।

उलमा का एक बड़ा तबक़ा (वर्ग) जो ज़ईफ़ और गढ़ी हुई हदीसें पेश

कर के दीन का हुलिया बिगाड़ रहा है उन को तंबीह की है तो दूसरी तरफ वह तबक़ा जो क़ुरआन की कसौटी पर हदीसों को परखे बगैर उन पर अमल करना अज्र और सवाब की बात समझता है, उन को भी ख़बरदार किया है इस तरह हदीस के मामले में बीच की संतुलित राह अपनाने की रहनुमाई की है, इसी सिलसिले की एक पुस्तिका ''मौज़ूअ और ज़ईफ हदीसों का चलन'' काफी मक़बूल हो गया है ।

अल्लाह तआला से प्रार्थना (दुआ) है कि मरहूम को इस का अच्छा बदला अता करे और हम को क़ुरआन के साथ हदीसों पर अमल करने और उनको फैलाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए । (आमीन)

मुहम्मद सिद्दिक़ क़ुरैशी
सेक्रेटरी
इदारा दअवतुल क़ुरआन
मुम्बई ४०००००३

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

(अल्लाह के नाम से जो रहमान व रहीम है)

प्रस्तावना

''हुज्जियते हदीस और क्या हर हदीस, हदीसे रसूल है?''इस विषय पर मुझ को इस्लामिक रिसर्च फ़ाउंडेशन मुंबई में लेक्चर देने का सुअवसर मिला था वहाँ मैं ने जो कुछ पेश किया था उसी को अब आम लोगों के फ़ायदे के मद्देनज़र सार्वजनिक रुप से प्रकाशित किया जा रहा है, हमारे लेक्चर में जो कुछ कमी भी थी, तो उसे भी ज़रूरी संशोधन के साथ ठीक कर दिया गया है ।

इल्मे हदीस पर अर्थात हदीस शास्त्र के विषय पर उर्दू में कई किताबें मौजूद हैं जिन में बहुत कुछ इल्मी बहसें पाई जाती हैं, हिन्दी में इस तरह के विषयों पर अभी कम लिखा गया है,हम ने यह छोटा सा पम्फलेट (पुस्तिका) आम पढ़े लिखे तबक़े (वर्ग)की ज़रूरत का ख़्याल करते हुए तरतीब दिया है,और इस मक़सद के लिए तहक़ीक़ी अंदाज़ के बावजूद इसे इतना आसान बनाने की कोशिश की है कि पढ़ने वाला इसे आसानी से समझ ले. सही हदीसों, कमज़ोर हदीसों और गढ़ी हुई हदीसों के फ़र्क को समझना बड़ा मुश्किल काम है लेकिन जिस तरह लोग खरे और खोटे सिक्के के अंतर को भांप लेते हैं उसी तरह वह ज़रूरी मालूमात हासिल कर के सही हदीसों और फ़ुज़ूल रिवायतों में भी तमीज़ कर सकते हैं, यह पम्फलेट (पुस्तिका) उन की इसी मुश्किल को आसान बनाने के लिए लिखा गया है ।

हदीस के मामले में यह कहा जा सकता है कि लोग बड़ी आपाधापी का शिकार हैं या फिर अतिवाद के एक तरफ़ ऐसे लोग हैं जो सिरे से हदीस ही के इन्कारी हो रहे हैं और दूसरी तरफ़ कमज़ोर से कमज़ोर और बे सिर पैर की रिवायतों को भी क़ुबूल करने वाले लोग हैं यहाँ तक कि रिवायतपरस्ती यानी आँख बन्द कर के रिवायतों को क़ुबूल करने का

मिज़ाज उलमा हज़रात का भी बन गया है । और हक़ को हक़ ज़ाहिर करने के लिए ज़रूरी हो गया है कि मुख़ालफ़त और विरोध की परवाह किए बग़ैर इस सूरतेहाल पर नज़र डाली जाए, और तहक़ीक़ अर्थात शोधपूर्ण रवैय्ये का दामन हाथ से न छोड़ा जाए । अल्लाह करे यह ख़िदमत आम मुसलमानों को हदीस के मामले में एतिदाल का, यानी संतुलित रास्ता दिखाने का कारण हो । अल्लाह तआला लोगों को सच समझने और क़ुबूल करने की कौफ़ीक़ दे ।

वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह

२३,रबीउल अव्वल
१४१९ हिजरी
बमुताबिक १८जुलाई १९९८

शम्स पीरज़ादा
इदारा दअवतुल क़ुरआन
५९,मुहम्मद अली रोड,
मुम्बई ४००००३

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

अल्लामा इकबाल ने बिल्कुल ठीक फ़रमाया है ।

हक़ीक़त ख़ुराफात में खो गई
यह उम्मत रिवायात में खो गई

कहाँ इस उम्मत के वह लोग जो चश्मा-ए-साफ़ी से सैराब होते थे यानी बिल्कुल निथरे पानी के आदी थे मगर अब जिन को गदला पानी पसंदीदा हो गया है फिर भी अल्लाह के फ़ज़्ल से हर दौर में कुछ लोग चाहे उन की तादाद कम ही रही हो चश्मा-ए-साफ़ी से ही फैज़याब होते रहे हैं, और आज भी इस उम्मत में ऐसे लोग मौजूद हैं,यह चश्मा-ए-साफ़ी क्या है ?क़ुरआन व सुन्नत और गदला पानी क्या है ? बे सिर पैर की रिवायतों, किस्सों की मीलावट, जिस की वजह से हक़ और बातिल, सही और ग़लत में शुबह (कन्फ़युज़न) हो रहा है ।

हदीस की अहमियत

हक़ क़ुरआन व सुन्नत के अन्दर है, और यही शरीअत की दो अहम बुनियादें हैं । क़ुरआन का तो एक एक शब्द अल्लाह का कलाम ही है इस लिए वह यक़ीनी तौर पर शक शुबह से परे है। और इस की हिफ़ाज़त का ज़िम्मा भी अल्लाह तआला ने ले रखा है इस लिए उसकी हर बात सच्ची, दो टुक और क़तई हुज्जत है। रह गई बात सुन्नत की तो वह है तो यक़ीनन हुज्जत ही है बशर्ते कि उस का सुन्नते रसूल होना साबित हो, सुन्नत के लिए हदीस का लफ़्ज़ भी इस्तेमाल होता है इस लिए हदीस क्या है इस पर हम पहले (गुफ़्तगू) बातचीत करेंगे ।

हदीस के लफ़्ज़ी मायने तो बात और कलाम के हैं लेकिन इस्तिलाही तौर पर यह लफ़्ज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बातों या किए गए कामों के मायनों में इस्तेमाल होता है साथ ही यह इस्तिलाह इस मायने में भी इस्तेमाल होती है कि जो बात या जो काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में किया जाए और आप ने उस से मना नहीं फ़रमाया, हदीस के उलमा इस तीसरी सूरत को तक़रीर कहते हैं। आप के क़ौल यानी आप की कही हुई बात की मिसाल यह है कि आप ने फ़रमाया :-

مَنْ بَنیٰ مَسْجِداً لِلّٰہِ تَعَالٰی بَنَی اللّٰہُ لَہٗ بَیْتاً فِی الْجَنَّۃِ۔ (مسلم کتاب المساجد)

अर्थ :- ''जिस ने अल्लाह तआला के लिए मस्जिद बनाई अल्लाह उस के लिए जन्नत (स्वर्ग) में घर बनाएगा।''

और आप के किये गए कामों की मिसाल यह है कि आप ने नमाज़ के लिए अज़ान और जमाअत का निज़ाम क़ायम फ़रमाया । और तक़रीर की मिसाल यह है कि आप के ज़माने में कुछ सहाबा अज़्ल करते रहते कि ग़ुलाम औरतों से हमल न ठहरे और आप ने इस से मना नहीं फ़रमाया, अगर अज़्ल (عزل) करना नाजायज़ होता तो आप ज़रूर मना फ़रमाते ।

हदीस ऊपर बताई गई सूरतों में से जिस तरह की भी हदीस हो वह हुज्जत है । क्यों कि अल्लाह तआला ने रसूल की इताअत व फ़रमांबरदारी का हुक्म दिया है :-

اَطِیْعُوا اللّٰہَ وَ اَطِیْعُوْا الرَّسُوْلَ۔ (النساء۔۵۹)

अर्थ:- '' इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो उस के रसूल की।'' (सूरह निसा -५९)

साथ ही यह भी फ़रमाया :-

وَمَا اٰتَاکُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْہُ وَمَا نَھَاکُمْ عَنْہُ فَانْتَھُوْا۔ (الحشر۔۷)

अर्थ :- '' और रसूल जो तुम्हें दे उस को लो और जिस से रोक दे उस से रुक जाओ।'' (सूरह अल हश्र. ७)

لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِیْ رَسُوْلِ اللّٰہِ اُسْوَۃٌ حَسَنَۃٌ۔ (الاحزاب۔۲۱)

अर्थ :- '' तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में बेहतरीन नमूना है । (सूरह अहज़ाब, २१)

وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَۃٍ اِذَا قَضَی اللّٰہُ وَرَسُوْلُہٗ اَمْراً اَنْ یَّکُوْنَ لَھُمُ الْخِیَرَۃُ مِنْ اَمْرِھِمْ۔ (الاحزاب۔۳۶)

अर्थ :- '' किसी मोमिन मर्द और किसी मोमिन औरत को यह हक़ नहीं है कि जब अल्लाह और उस का रसूल किसी मामले का फैसला कर दे तो उन के

लिए अपने मामले में कोई इख्तियार बाकी रहे ''। (सूरह अहज़ाब - ३६)

नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हदीस को दूसरों तक पहुंचाने का हुक्म दिया है इसी लिए आख़िरी हज्ज के मौक़े पर आप ने जो ख़ुत्बा (Lecture) दिया उस के आख़िर में फ़रमाया :-

لِیُبَلِّغِ الشَّاھِدُ الْغَائِبَ۔ (البخاری کتاب العلم)

अर्थ :- '' जो यहाँ मौजूद हैं उन को चाहिए कि वह इन बातों को उन लोगों तक पहुँचा दें जो यहाँ मौजूद नहीं हैं ''।(बुखारी किताबुल इल्म)

आप ने हदीस को बयान करने की तरग़ीब (प्रेरणा) भी दी है ।

نَضَّرَ اللّٰہُ امرأً سمع منّا شیئا فبلغہ کما سمعہ۔ (الترمذی ابواب العلم)

अर्थ :- ''अल्लाह उस शख्स को शादाब (खुश) रखे जिस ने हम से कोई बात सुनी और उसे पहुँचा दिया जैसा कि सुना था ''। (तिरमिज़ी अबवाबुल इल्म)

हदीस का इनकार

जो लोग हदीस का इनकार करते हैं और क़ुरआन को अपने लिए काफी समझते हैं वह हक़ीक़त में रसूल की इताअत और उस के अनुपालन से रोकते हैं, क़ुरआन के अहकाम (आदेशों) की तामील किस तरह की जाए और उन की तफ़सीलात क्या हैं ? इस का कोई माक़ूल और सही जवाब उन के पास नहीं होता, इस लिए वह उन अहकाम को ऐसे ऐसे मायने पहनाने लगते हैं जो क़ुरआन के बयान से कोई मेल नहीं खाते और अपनी अटकलों से क़ुरआनी बयान के मतलब तय करने लगते हैं, मिसाल के तौर पर ज़कात की तफ़सील और उन की मिक़दार खुद तय करने लगते हैं, जिस के नतीजे में शरीअत का पूरा निज़ाम (System) मुतास्सिर ही नहीं होता बल्कि बदल जाता है। क़ुरआन करीम ने रसूल की शान यह बतलाई है कि वह

یَتْلُوْ عَلَیْھِمْ اٰیَاتِہٖ وَیُزَکِّیْھِمْ وَیُعَلِّمُھُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَۃَ۔ (الجمعۃ۔۲)

अर्थ :- ''जो उन को अल्लाह की आयतें सुनाता है, उन का तज़किया (Purification) करता और उन को किताब और हिकमत की तालीम देता

है।''(सूरह जुमुअः २)

लिहाज़ा यह समझ लेना चाहिए कि हदीस हिकमत का ख़ज़ाना है और इस में नफ़्स के तज़किया (अर्थात अन्तर्मन के शुद्धिकरण या Purification) के लिए बेहतरीन नुस्खे पेश किए गए हैं।लेकिन हदीस का इनकार कर के इस क़ीमती सरमाए (मूल्यवान धरोहर) से महरूम हो जाता है। मौजूदा दौर में हदीस के इनकार का फित्ना है, जिस में वह लोग बड़ी आसानी से मुब्तिला हो जाते है जिन का दीनी मुताला सतही होता है।

हदीस और सुन्नत का फ़र्क़

सुन्नत का मतलब है तरीक़ा और दीनी इस्तिलाह के मुताबिक सुन्नत का मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है, हदीस को भी जब कि वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो, सुन्नत कहा जाता है क्यों कि हदीस क़ौली बयान की सूरत में हो या किए गए अमल की सूरत में, उस से आप के तरीक़े का ही पता चलता है, लेकिन आप के किये गए कामों, आप की सीरत (अर्थात जीवनी एवं आचरण) और आप के उसवा-ए-हसना (यानी आप के अख़लाक़ी रवैये) को भी सुन्नत से परिभाषित किया जाता है, ध्यान रहे कि फ़ुक़हा (हदीस शास्त्रीयों) की इस्तिलाह में सुन्नत के फर्ज़ और वाजीब (यानी अनिवार्य कामों) से कम दर्जे के अहकाम के लिए बोला जाता है, यहाँ इस से बहस नहीं है बल्कि यहाँ शरई इस्तिलाह यानी शरई परिभाषा है उस से बहस है। इसी लिए हदीस में सुन्नत का लफ़्ज़ अपने विस्तृत मायनों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके ही के लिए इस्तेमाल हुआ है। मशहूर हदीस है :-

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ۔ (الترمذی ابواب العلم)

अर्थ :- ''मेरी सुन्नत को और हिदायतयाफ़ता ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन की सुन्नत को मज़बूत पकड़े रहना''। (तिर्मिज़ी अबवाबुल इल्म)

एक और हदीस में है :-

فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّي۔ (البخاری کتاب النکاح)

अर्थ :- '' जिस ने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा वह मुझ से नहीं ।''(बुखारी किताबुन्निकाह)

नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन का जो तरीक़ा जारी फ़रमाया वह आप की सुन्नत थी जिसे देख कर लोग अमल करते थे, शरीअत के ज्यादातर अहकाम व आदेश इसी तरह रिवाज पा गए । मिसाल के तौर पर पाँच वक़्त की नमाज़, फ़र्ज़ नमाज़ की रकअतें, नमाज़ के अरकान, नमाज़ के लिए अज़ान और जमात का एहतिमाम, मस्जिद की तामीर, दोनों ईद की नमाज़ें, अलग अलग चीज़ों के लिए ज़कात की दरें और उन की वसूलयाबी और उन की तक़सीम का निज़ाम हज्ज के मनासिक, जानवर को ज़बह करने का तरीक़ा, निकाह का तरीक़ा, शरई फैसले, उस की अदालतें, सामाजिक व्यवस्था के अच्छे बन्दोबस्त के लिए लायक ज़िम्मेदारों की नियुक्ति और जिहाद के लिए ताक़त की फ़राहमी और जंग के तौर तरीक़े वग़ैरह ।

ऐसे सभी मामलों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरिक़े जारी फ़रमाए आप के पैरोकार उन पर कारबन्द होते और उन पर अमलदरामद के लिए किसी क़ौली हदीस या किसी मौखिक वक्तव्य की ज़रूरत न होती, इस का यह मतलब नहीं कि आप के अक़वाल (वक्तव्यों) से वह बेनियाज़ थे ------नहीं, बल्कि उन को भी वह जानने की कोशिश करते------बल्कि मतलब यह है कि रिसालत काल में सुन्नते नबवी एक जानी पहचानी सामान्य सी चीज़ थी जिस को देख कर लोग रसूल का अनुपालन करते ।

मिसाल के तौर पर आप जुहर की फ़र्ज नमाज़ चार रकअतें अदा करते रहे आप की यह सुन्नत ऐसी मारुफ़ (जानी पहचानी) थी कि इस के बारे में किसी कौली हदीस (मौखिक वक्तव्य) को ढूंढने की जरुरत नहीं थी। हज़रत मआज रज़िअल्लाहु अन्हु को जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन का आमिल (गवर्नर) बना कर भेजा तो वह आप के नुमाइन्दे (प्रतिनिधि) की हैसियत से यमन गए वहाँ लोगों के लिए नबी की सुन्नत को जानने का ज़रीया मआज़ की शख़्सियत थी । उन की नमाज़ को देख कर लोग समझ लेते कि नबी सल्लल्लाहु अलैसि वसल्लम ने नमाज़ का यही तरीक़ा बतलाया है । इसी तरह जिस मिकदार में ज़कात वसूल फ़रमाते और उस को जिस तरह ख़र्च करते साथ ही हुकूमती सतह पर जो अहकाम आप

लागू करते उन से नबी की सुन्नत उभर कर सामने आ जाती क्यों कि हज़रत मआज़ आप के नुमाइन्दे थे इस लिए कोई काम आप के तरीक़े से हट कर नहीं कर सकते थे। मतलब यह कि अहदे रिसालत में रसूल की सुन्नत को जानने का जरीया दीन का वह निज़ाम था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ायम फ़रमाया था यह निज़ाम सहाबा के ज़माने में भी ज्यूँ का त्यूँ क़ायम रहा और उस दौर के बाद भी आप की सुन्नत एक जारी सुन्नत की हैसियत से लोगों में मारुफ़ रही और पूरी निरंतरता, व तवातुर के साथ एक नस्ल के बाद दुसरी नस्ल को मुन्तक़िल होती रही और आज भी उम्मत इस मुतवातिर जारी सुन्नत पर पूरी तरह मुत्तफ़िक़ है । कुछ अपवाद को छोड़ कर इमाम मालिक का तो मसलक ही यह था कि अगर ख़बरे वाहिद (यानी वह हदीस जिस का रावी एक हो)वह मदीना वालों के अमल में जाहिर हुई तो वह मदीना वालों के अमल को तरजीह देते (अस्सुन्नह, मुस्तफ़ा सबाई पृष्ठ ४३०) इस लिए कि उन के नज़दीक मदीना वालों का अमल जारी की गई सुन्नतों के हुक्म में होता ।

हिदायत का दारोमदार अटल सच्चाइयों, वाज़ेह निशानियों और ख़ुदा के हुक्मों के आगे नतमस्तक होने, उन को क़ुबूल करने और उन पर अमलपैरा होने पर है, इस में क़ुरआन के अलावा सुन्नते जारिया (जिसे मुतवातिर सुन्नत भी कह सकते हैं) भी शामिल है जिस के बग़ैर रसूल की पैरवी या उन का अनुपालन बे मायने हो कर रह जाता है। रहीं वह हदीसें जो सुन्नते जारिया के अलावा हैं तो अगर उन की प्रमाणिकता संदिग्ध हो तो उन का शुमार बख्यिनात (यानी अटल और स्पष्ट चीजों) में नहीं हो सकता जिन पर क़ुरआन के अनुसार हिदायत का दारोमदार है अलबत्ता किसी हदीस के हदीसे रसूल साबित हो जाने के बाद उस को क़ुबूल न करना और अपनी या किसी फ़क़ीह (धर्म शास्त्री) की राय को तरजीह देना रसूल की इत्तिबा यानी उस के अनुपालन से अलग होना है, और इस की जुर्रत किसी शख्स को भी नहीं करना चाहिए चाहे वह कोई आलिम हो या कोई आम आदमी।

हदीस की किताबत

अहदे रिसलात में हदीस को लिख कर सुरक्षित रखने का एहतिमाम नहीं किया गया, जिस की बुनियादी वजह क़ुरआन को हदीस के साथ ख़लत मलत होने से

बचाना था । क़ुर्आन करीम के लिए तो कातिब (लिखने वाले) मुक़र्रर थे, और जब कोई वह्य (ईश प्रकाशना) नाज़िल होती आप कातिब को बुला कर लिखवाते, अगर हदीसें भी लिखवाते तो क़ुरआन और हदीस में इश्तिबाह (Confusion) की सूरत पेश आ सकती थी। फिर भी आखिरी दौर में जब कि क़ुरआन को महफ़ूज करने का सामान पूरी तरह हो गया था तो आप ने कुछ सहाबा को हदीसें लिखने की इजाज़त दी ।

हजरत अबू बक्र रज़ियल्लाहु अन्हु ख़लीफ़ा हुए और हजरत अनस को बहरैन भेजा तो उन्हें एक तहरीर दी ।जिस में मवेशियों और चाँदी की ज़कात की शरहें (दरें) बयान की गई थीं इस सराहत के साथ कि यह फ़र्ज़ सदक़ा अनिवार्य है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों पर किया है और जिस का अल्लाह ने अपने रसूल को हुक्म दिया ।

(बुख़ारी किताबुज़्ज़कात)

हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हदीसें क़लमबन्द करने का इरादा किया था मगर फिर इरादा बदल गया और फ़रमाया जैसा कि आप जानते हैं मैं हदीसें लिखाने का इरादा बाँध रहा था तभी मुझे याद आ गया कि मुसलमानों से पहले अहले किताब ने ख़ुदा की किताब के साथ अन्य किताबें लिखीं फिर अल्लाह की किताब को छोड़ कर इन्ही के हो रहे, खुदा की कसम मैं अल्लाह की किताब के साथ किसी चीज़ को ख़लत मलत नहीं करूंगा इसी वजह से उन्हों ने हदीस लिखने का इरादा छोड़ दिया ।(उलूमुल हदीस डाक्टर सबही सालेह ५९ बहवाला तबक़ात इब्ने सअद १/३ पृष्ठ २०६)

क़ुरआन और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जारी की गई सुन्नत की मौजूदगी में क़ौली हदीसें बयान करने की ज़रूरत बस एक हद तक ही थी । इस लिए अबू बक्र सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक हदीसें बयान करने वालों पर गिरफ़्त करते रहे ताकि वह इस मामले में मुहतात रहें और कोई ऐसी बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ़ मनसूब न हो जो आप के बयान से मेल न खाती हो । उन की गिरफ़्त को यह मायने पहनाना सही नहीं कि वह हदीसों को बयान करने के ख़िलाफ़ थे । क्यों कि उन के कितने ही फ़ैसले बयान किए जा सकते हैं जो उन्हों ने दूसरे सहाबा से हदीसें सुन कर किए हैं । सहाबा किराम

में हजरत अबू हुरैरा , हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर, हज़रत अनस बिन मालिक, हज़रत आयशा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, हज़रत अबू सईद खुदरी, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (अल्लाह इन सब से राज़ी हो) हदीसें बयान करने में पेश पेश रहे।फिर ताबिईन (यानी सहाबा के बाद की पीढ़ी) और उन के बाद तबा ताबिईन (यानी ताबिईन के बाद की पीढ़ी) का दौर आया और हदीसें सीना बा सीना मुन्तकिल होती रहीं, हदीस की तालीम (शिक्षण प्राशिक्षण) के लिए ख़ास मजालिसें आयोजित की जातीं थी जिन में हदीस के उलमा अपने हाफ़िज़े और अपनी याददाश्त से हदीसें बयान करते और शागिर्द उन को याद कर के महफूज़ कर लेते, इमाम मालिक बिन अनस, सईद बिन मुसैय्यिब, नाफ़े मौला इब्ने उमर, मुहम्मद बिन सिरिन, इब्ने शहाब जुहरी, सुफ़यान सौरी, सुफ़ियान बिन उऐनिया और इमाम अहमद बिन हम्बल के नाम क़ाबिले ज़िक्र हैं ।

तदवीने हदीस (हदीसों का संकलन)

हदीसों को याद कर के ज़बानी बयान करने का यह सिलसिला चलता रहा लेकिन रफ़ता रफ़ता फ़ितनों ने सर उठाना शुरू किया और कई तरह के फ़िरके (Sect) वजूद में आ गये और फ़िकही इख़्तिलाफ़ ने भी कुछ असबियत (पक्षपाती नफ़रत) पैदा कर दी नतीजा यह हुआ कि हर गिरोह ने अपनी ताईद में हदीसें पेश करना शुरू कर दीं । इस मक़सद के लिए हदीसें गढ़ी भी गई और हदीसे रसूल में अपनी तरफ़ से इज़ाफ़े भी किए गए यह भी हुआ कि कुछ ग़लत मायने भी पहनाए गए । इस सूरते हाल के पेशे नज़र मुहद्दिसीन (हदीस के आलिमों) ने बाक़ायदा हदीसों को मुदव्वन करने यानी संकलित करने का काम शुरू किया। ताकि हदीसें लोगों के सामने असनाद (प्रमाण) के साथ पेश हों और वह मनगढ़ंत रिवायतों से बचें ।

हदीसों की तदवीन के सिलसिले की पहली क़ाबिले जिक्र किताब (उल्लेखनीय किताब) मुवत्ता है जो इमाम मालिक (वफ़ात १७९ हि.) ने मुरत्तब (संकलित)की। इस के बाद इमाम बुख़ारी (वफ़ात २५६ हि.) ने अल जामिउस्सहीह मुरत्तब की जो सही बुखारी के नाम से मशहूर है इसी तरह इमाम मुस्लिम (वफ़ात २६१

हि.) ने सही हदीसों पर मुश्तमिल किताब मुरत्तब की जो सही मुस्लिम के नाम से मशहूर है । इन के अलावा कई मुहद्दिसीन ने हदीस की किताबें मुरत्तब कीं मसलन तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, इब्ने माजा, नसई और मुसनद अहमद बिन हम्बल वग़ैरह।

हदीस की इन किताबों के चार तबक़ात (Grade) हैं :-

पहले तबक़े में सही बुख़ारी और सही मुस्लिम शामिल हैं ।

दूसरे तबक़े में जामे तिर्मिज़ी, सुनन अबू दाऊद, नसई इब्न माजा और मुवत्ता इमाम मालिक शामिल हैं ।

तीसरे तबक़े में मुसनद अहमद बिन हम्बल, मुसन्निफ अब्दुर्रज़्ज़ाक, मुसन्निफ़ इब्ने अबी शैबा, सुनन दारमी, सुनन दार कुतनी, सुनन बैहक़ी और तबरानी शामिल है ।

चौथे तबक़े में दैलमी, अबू नईम,मरदूयः इब्ने असाकर और इब्ने शाहीन शामिल हैं ।

पहले तबक़े की किताबें सेहत, शोहरत और मक़बूलियत यानी प्रमाणिकता एवं प्रसिद्धि में सब से ज़्यादा दर्जे की हैं और उलमा इन पर सब से ज़्यादा भरोसा करते हैं।

दूसरे तबके में सही और हसन हदीसों के अलावा ज़ईफ़ (कमज़ोर) रिवायतें भी हैं यह पहले तबक़े की किताबों से कम दर्जे की हैं इस के बावजूद इन अहादीस से भी इस्तिदलाल किया जाता है।

तीसरे तबके में ज़ईफ़ हदीसों की कसरत है और कुछ मौज़ूअ हदीसें (यानी गढ़ी हुई हदीसें)भी इन में शामिल हो गई हैं इस लिए इन पर कम ही भरोसा किया जाता है ।

अब रह गई चौथे तबक़े की हदीसें तो वो बे सिर पैर की रिवायतों का मजमूआ है और इस लायक नहीं है कि उन से इस्तिदलाल किया जा सके । ये किताबें क़िस्सा गो, सूफ़ियों, इतिहासकारों और वाइज़ो की पसंदीदा हैं।

हदीस की क़िसमें

मुहद्दिसीन ने हदीस को एक बाक़ायदा फन बना दिया है, यहाँ तक कि हक़ीक़त फ़न में गुम हो कर रह गई,उन्हों ने हदीस के उसूल पर किताबें भी मुरत्तब

कीं जिन में नुख्बतुल फिक्र, मुकदमा इब्नुस्सलाह, और अल किफाया फी इल्मुर्रिवाया काबिले ज़िक्र हैं मुहद्दिसीन ने हदीस की बहुत सी किसमें बयान की हैं लेकिन हम यहां फन्नी बहस में पड़े बगैर हदीस की मोटी मोटी क़िस्में बयान करेंगे।

सही हदीस वह हदीस है जिस की सनद मुत्तसिल हो यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह रिवायत हुई हो कि बीच का कोई रावी (रिवायत करने वाला) छूट न गया हो और उस के सभी रावी सिकः (यानी भरोसेमंद, आदिल) हों जो हदीस को अपनी याद्दाश्त में रख कर सही तौर से अदा करते हों और जिन की रिवायत की गई हदीस में ऐसी कोई बात न हो जिस की वजह से वह हदीस क़ाबिले क़ुबूल न करार पाए जैसे कि हदीस की सनद में या मतन (Text) में कोई उलझाव न हो । इस को इस तरह भी कहा जाता है कि उस हदीस में कोई इल्लत न पाई जाती हो ।

हसन हदीस वह हदीस है जो सही हदीस से कम दर्जे की हो और उस के रावी में ज़ब्त की क़दरे कमी हो यानी वह हदीस को अपनी याददाश्त में रख कर सही तौर से बयान न कर पाए हों ।

ज़ईफ़ या कमज़ोर हदीस वह हदीस है कि जिस की सनद या मतन में कमज़ोरी हो । और ज़ईफ हदीस ही की एक किस्म मुर्सल हदीस है । इस से वे हदीसें मुराद हैं जिस में ताबिई किसी सहाबी के वास्ते के बग़ैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करे ऐसी हदीसें मुहद्दिसीन की बड़ी तादाद यानी जमहूर मुहद्दिसीन के नज़दीक हुज्जत के काबिल नहीं, मतलब यह की ऐसी हदीसों की बुनियाद पर कोई हुक्म नहीं लगाया जा सकता इमाम मुस्लिम अपने सही के मुक़दमे में फ़रमाते हैं :-

''मुर्सल हदीस हमारे नज़दीक और हदीस का इल्म रखने वालों के नज़दीक हुज्जत नहीं है ''।

और इमाम शाफिई उस मुर्सल हदीस को क़ाबिले क़ुबूल समझते हैं जिस को किसी बड़े ताबिई ने रिवायत किया हो लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा और उन के असहाब मुर्सल हदीस को सही और हुज्जत के काबिल क़रार देते हैं । (शरह नुख्बतुल फिक्र, अली अलक़ारी पृष्ठ ११० से ११२)

इस लिए इमाम अबू हनीफ़ा दारुल हर्ब में मुस्लिम और हर्बी के दरम्यान सूद के जाय़ज होने के कायल हैं और इस्तिदलाल (तर्क) एक मुर्सल हदीस से करते हैं जिस को मकहूल (مکحول) ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया है कि दारुलहर्ब में मुसलमानों और अहले हर्ब के दरम्यान सूद नहीं है, अल्लामा इब्ने क़दामा (علامہابن قدامہ) ने मुग़नी (مغنی) में इस पर टिप्पणी करते हुए लिखा है :-

'' उन की हदीस मुर्सल है और हम उस की सेहत को नहीं जानते और इस बात का एहतिमाल है कि इस से मुराद सूद से मना करना हो और जिस का हराम होना क़ुरआन और सुन्नह से साबित है । और जिस चीज के हराम होने पर सब लोग एकमत हों यानी जिस की हुर्मत पर इजमाअ हो उस को एक मजहोल और नामालूम हदीस की बिना पर छोड़ा नहीं जा सकता, यह हदीस न किसी सही में वारिद हुई है और न मुस्नद में और न किसी ऐसी किताब में जो भरोसे के लायक हो, फिर इस पर यह भी कि यह हदीस मुर्सल और मुतहम्मिल है''। (अल मुग़नी जिल्द ४ पृष्ठ ४६) और विडम्बना यह है कि एक गिरोह ने इस का सहारा ले कर हिन्दुस्तान में सूद को जायज़ करार दिया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ।

अल्लामा शोकानी लिखते हैं कि मुर्सल हदीस जम्हूर (अधिकतर उलमा) के नज़दीक ज़ईफ़ है और इस से हुज्जत क़ायम नहीं होती, क्यों कि इस बात का एहतिमाल है कि ताबिई ने किसी और ताबिई से सुना हो लिहाज़ा उस का सहाबी से सुनना सुनिश्चित नहीं होता ।

(इर्शादुल फ़हूल ارشادالفحول शोकानी पृष्ठ ५७)

ज़ईफ़ हदीस ही की एक किस्म मुन्कर हदीस है यानी वह हदीस जो कोई ज़ईफ़ रावी सिक़ा रावी (मज़बूत उल्लेखकर्ता) की मुख़ालफ़त करते हुए बयान करे। इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम के मुक़दमे (अर्थात उस की भूमिका में) लिखा है कि सिक़ा रावियों से सही हदीसें इतनी ज़्यादा पाई जाती हैं कि ज़ईफ रावियों की रिवायतें नक़ल करने की ज़रुरत नहीं । वे कहते हैं :-

'' दीन के मामले में हदीसें या तो हराम और हलाल बताने वाली होती हैं या यह करो और यह न करो बताने वाली होती हैं या किसी चीज़ का शौक़ दिलाने

वाली होती हैं । तो जब रावी सच्चा और अमानतदार न हो और उस से ऐसा शख्स रिवायत करे जो उस को जानता हो और उस का हाल उन लोगों को बयान न करे जो उस को जानते न हों तो अपने इस अमल पर गुनहगार होगा और आम मुसलमानों को धोखा देने वाला होगा। क्यों कि सुनने वाला उन पर या उन में से कुछ हदीसों पर अमल करने वाला हो सकता है जब कि हो सकता है कि व सब या अकसर हदीसें झूठ हों, जिन की कोई असल न हो हालांकि सिक़ा रावियों से सही हदीसें इस कसरत से रिवायत की गई हैं कि जो रावी (उल्लेखकर्ता) सिक़ा नहीं हैं उन से रिवायत करने की सिरे से कोई ज़रुरत ही नहीं है ''।

जो लोग इन कमज़ोर और नामालूम सनदों (अप्राप्त प्रमाणों) वाली हदीसों पर भरोसा करते हैं वह अवाम पर यह ज़ाहिर करना चाहते हैं कि उन्हों ने बहुतेरी हदीसों को जमा किया है तो जिस ने यह तरीक़ा अपनाया हो उस का इल्म में कोई हिस्सा नहीं और उस को अहले इल्म (विद्वान) कहने के बजाये जाहिल कहना ज़्यादा मुनासिब है ।'' (मुक़दमा सही मुस्लिम पृष्ठ २८)

ज़ईफ़ हदीस हुज्जत नहीं

ज़ईफ़ हदीस हुज्जत नहीं है और यह ख्याल करना कि फ़ज़ाइले आमाल के मामले में ज़ईफ़ हदीस पर अमल करना जायज़ है, सही नहीं, इमाम अहमद बिन हम्बल से इस बयान को जोड़ा जाता है कि ''जब हम हलाल और हराम के बारे में कोई हदीस रिवायत करेंगे तो उस को सख़्ती से परखेंगे और जब आमाल की फ़जीलत बयान करने वाली हदीस देखेंगे तो उस में उतनी सख़्ती नहीं बल्कि रिआयत से काम लेंगे ''। (अल किफ़ाया पृष्ठ १७८)

तो इस का मतलब ग़लत समझा गया है , उन के कहने का मतलब यह नहीं था कि हम आमाल की फ़ज़ीलत बयान करने वाली हदीस से इस्तिदलाल करेंगे बल्कि मतलब यह था कि सही से कुछ कम दर्जे की हदीस से इस्तिदलाल करेंगे. यानी ऐसी हदीस से इस्तिदलाल करना है जो करीब करीब हसन हदीस के दर्जे की हो ।

अल्लामा शोकानी लिखते हैं :-

''ज़ईफ़ हदीस जो इस हद तक कमज़ोर हो कि उस से कोई अनुमान के दर्जे

की बात भी न निकाली जा सके उस से हुक्म साबित नहीं होता और न उस से आम शरई अहकाम में इस्तिदलाल करना (यानी उस कमज़ोर रिवायत से तर्क कर के कोई शरई हुक्म निकालना) सही है हुक्म सिर्फ ऐसी हदीस से साबित होता है जो सही हो या हसन लिज़ातिही (अपने आप में हसन हो) या हसन लिग़ैरिही (किसी सही हदीस के सहारे पर हो) क्यों कि इसी सूरत में इस के सच्चे होने और प्रमाणित होने का अनुभव हासिल होता हैं '' ।

(इर्शादुल फहूल - शोकानी पृष्ठ ४३)

शेख मुहम्मद ख़िज़री ''उसूलूल फ़िक़्ह'' में लिखते हैं :-

'' जब हदीस की कमज़ोरी रिवायत करने वाले के अनियमित होने (ग़ैर ज़ाबित होने) की बिना पर साबित हो तो उसे क़ुबूल नहीं किया जाएगा और न उस से इस्तिदलाल (तर्क) किया जाएगा अलबत्ता अगर रिवायत के तरीके कई हुए तो क़ुबूल किया जाएगा क्यों कि उस को जो छोड़ा जा रहा था तो उस के ग़लत होने की आशंका की वजह से, लेकिन उस का कई तरीक़ों से रिवायत किया जाना इस बात का सबूत है कि रिवायत करने वाले ने ठीक कहा है । लेकिन अगर यह कमज़ोरी उस के फिस्क (बिगाड़) की वजह से हो तो कई तरीक़ो से रिवायत किए जाने के बावजूद वह इस्तिदलाल के क़ाबिल नहीं होती क्यों कि रिवायत करने वाले के आदिल न होने की वजह से जो शुबह (संदेह) पैदा होता है वह उस जैसे दूसरे रिवायत करने वालों के मिल जाने से दूर नहीं होता ।

(उसूलुल फ़िक़्ह, ख़िज़री पृष्ठ २७२)

डाक्टर सबूही लिखते हैं :-

''दीन इस्लाम में यह एक स्थापित सच्चाई (मुसल्लमा हक़ीक़त) है कि ज़ईफ़ हदीस को किसी शरई हुक्म या आमाल की फ़ज़ीलत के लिए बुनियादी स्रोत (मस्दर व माख़िज़) नहीं ठहराया जा सकता (इस लिए कि ज़ईफ़ हदीस की बुनियाद अनुमान (ज़न ظن)पर रखी गई है और अनुमान किसी भी सूरत में हक़ (वास्तविकता) की जगह नहीं ले सकता) फिर यह बात भी क़ाबिले ग़ौर है कि शरई अहकाम की तरह फ़ज़ाइल भी दीन के बुनियादी सुतूनों (खम्बों) की हैसियत रखते हैं यह किसी तरह जायज़ नहीं कि दीन की बुनियाद ऐसे खम्बों पर रखी गई हो जो बिलकुल कमज़ोर और क़ुव्वत व इस्तिहकाम (ताक़त और मज़बूती) से

बिलकुल ख़ाली हो ।''

खुलासा यह है कि हम इस बात को तसलीम करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं हैं कि आमाल की फ़ज़ीलतों के बयान में कमज़ोर हदीसों को प्रेक्टिस में लाया जा सकता है चाहे उन के अन्दर वह शर्तें पाई जाती हों जिन को सहल पसंदों ने इस मामले में जरुरी ठहराया है उन के मुताबिक ये शर्तें तीन हैं ।

(१) पहली शर्त यह है कि वह रिवायत बहुत ज्यादा ज़ईफ़ न हो ।

(२) वह उन उसूलों व मानकों से पूरी तरह मेल खाती हों जो किताब और सही सुन्नत से साबित हैं ।

(३) इस से अधिक मज़बूत दलील भी उस के आड़े न आए ।

इन मुनासिब शर्तों के रहते हम ज़ईफ़ हदीसों को तसलीम करने के लिए तैयार नहीं हैं इस लिए हम उस पर अमल करने से बेपरवाह हैं हमारे पास सही और हसन हदीसों की जो शरई हुकमों और आमाल की फ़ज़ीलतों को वजाहत से बयान करती हैं इतनी भरमार है कि उन के होते हुए ज़ईफ़ हदीस को तसलीम करने की कुछ हाजत नहीं ।तसलीम न करने की एक वजह यह भी है कि ज़ईफ़ हदीस का सबूत हमारे दिल और हमारे ज़मीर में हमेशा खटकता रहेगा और हमें कभी दिल का इत्मीनान न हासिल हो सकेगा इसी शक और भ्रम की वजह से तो हम उसे ज़ईफ़ (कमज़ोर) कहते हैं हालांकि दीनी मामलों में यकीन और भरोसे की ज़रुरत होती है । (उलूमुल हदीस पृष्ठ २७५)

अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी फ़रमाते हैं :-

''बड़े अफ़सोस की बात है कि हम बहुत से लोगों को और ख़ास तौर से मस्जिदों के ख़तीबों को देखते हैं कि वह ज़ईफ़ हदीसों को ले कर चलते हैं, उन से इस्तिदलाल करते हैं और उन पर शरई अहकाम की बुनियाद रखते हैं इस बात को सोचे बग़ैर कि उन्हें इस की जवाबदेही अपने रब के हुज़ूर करना है वे उन लोगों के सामने ऐसी हदीसें पेश करते हैं जो खामोशी के साथ सुनते हैं और अधिकतर यह ख़्याल करते हैं कि वह सही कह रहे हैं मुझे बेहद तअज्जुब होता है उन ख़तीबों पर कि वह किस तरह जुमा का ख़ुतबा तैयार करते हैं ।और उन को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह इर्शाद याद नहीं कि '' जिस ने मुझ पर जान कर झूठ बोला वह अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले ''

और आप का इर्शाद कि मुझ पर झूठ बोलना किसी शख़्स पर झूठ बोलने जैसा नहीं है, जिस ने जानते हुए मेरी तरफ कोई झूठ बात मंसूब की वह अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले ।''

(सिलसिलतुल अहादीसुज़्ज़ईफा जिल्द ५पृष्ठ १०)

इन स्पष्ट (वाज़ेह) बातों के रहते हुए ज़ईफ़ हदीसों को हुज्जत नहीं करार दिया जा सकता । जब इमाम मुस्लिम मुर्सल हदीस को हुज्जत तसलीम नहीं करते तो ज़ईफ़ हदीस के हुज्जत होने का क्या सवाल पैदा होता है ?ज़ईफ़ हदीस के क़ाबिले क़ुबूल होने की अगर कोई मुनासिब सूरत हो सकती है तो वह यह है कि हदीस के रिवायत करने वाले रावी सिक़ा (विश्वासपात्र) हों लेकिन नियम याद रखने में कमी पाई जाती है यानी वह भूल का शिकार होते हों पर वह क़ुरआन और सही हदीसों के मूलभाव के ख़िलाफ़ न हो और हुक्म में किसी ऐसे मसले का बयान किया गया हो, जो शरीअत के तकाज़ों के अनुकूल हों जैसे कि तिजारत के माल पर ज़कात के बारे में अबू दाऊद की यह हदीस कि:-

''अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें उस माल में ज़कात निकालने का हुक्म देते थे जिसे हम बेचने के लिए तैयार रखते थे।''

इस के एक उल्लेखकर्ता (रावी) जाफ़र बिन सअद हैं जो कमज़ोर हैं लेकिन इस हदीस को क़ुबूल करने में कोई अड़चन नहीं है ।

अहनाफ़ कितनी ही सही हदीसों को सिर्फ इस बिना पर क़ुबूल नहीं करते कि वह ख़बरे वाहिद (यानी एक आदमी से रिवायत की गई हदीस) हैं मिसाल के तौर पर सफ़र की हालत में नमाज़ों को जमा करना (यानी ज़ुहर व अस्र या मग़रिब व इशा को एक साथ पढ़ना) की हदीसों को जब कि वह सही हैं अहनाफ़ क़ुबूल नहीं करते (इस बहस के लिए देखिए एलामुल मुवक़्क़िईन ----अल्लामा इब्ने क़य्यम जिल्द ५ पृष्ठ २०) मतलब यह कि अहनाफ़ के लिए तो अपने उसूलों के मद्देनज़र सही हदीसों को भी क़ुबूल न करने की गुंजाइश है। लेकिन शोध और तहक़ीक के रवैये को अपनाने वालों के लिए ज़ईफ़ हदीसों से इनकार करने की गुन्जाइश नहीं है। हदीस के बारे में यह कैसा पैमाना है ।

यह मुताख़ख़ीरीन (बाद के दौर के उलमा) हैं जिन्हों ने ज़ईफ़ हदीसों को क़ुबूल करने में फ़राख़दिली से काम लिया और यह नहीं सोचा कि जब ज़ईफ़ हदीसें भी

हुज्जत हैं तो फिर सही और ज़ईफ़ की लम्बी बहसों का क्या हासिल? और इस सिलसिले में मुहद्दिसीन ने जो फ़न्नी बहसें की हैं वह बिलकुल ग़ैर ज़रुरी मालूम होती हैं।फिर तो सीधे से यह कह देना चाहिए कि हर क़िस्म की हदीसें हर हाल में क़ुबूल की जानी चाहिऐं सिवाय गढ़ी गई हदीसों को छोड़ कर । क्या हमारे उलमा इस आधार पर खड़े रहने के लिए तैयार हैं । जब कि व्यवहारिक रुप से (अमलन) यही कुछ कर रहें हैं ।

अस्माउर रिजाल (रावियों के अहवाल)

अस्माउर रिजाल से मुराद रिवायत करने वालों के अहवाल हैं इस विषय पर कई किताबें लिखी गई हैं जैसे कि तबक़ात इब्ने सअद, बुख़ारी की अत्तारीखुल कबीर, इब्ने अबी हातिम राज़ी की अल जिरह वत्तादील, हाफ़िज़ इब्ने हजर की तहज़ीबुत्तहज़ीब और तक़रीबुत्तहज़ीब, इमाम ज़हबी की मीज़ानुल एतिदाल वग़ैरा । किसी हदीस की सनदों का हाल मालूम करना हो तो उस के रावियों के नाम अस्माउर रिजाल की किसी किताब में तलाश करना होंगे । इन किताबों का संकलन करने वालों ने बड़ी मेहनत से रावियों के अहवाल मालूम कर के लिखे हैं जिन से बड़ी मुफ़ीद और कारआमद मालूमात सामने आती हैं और रावी (उल्लेखकर्ता) के सिक़ा या ज़ईफ़ यानी भरोसेमंद या कमज़ोर होने का पता चलता है। लेकिन मुश्किल यह है कि कितने उल्लेखकर्ताओं (रावियों) के बारे में मुहद्दिसीन (हदीस शास्त्रियों) के विपरीत बयानात मिलते हैं । हम यहाँ इस की कुछ मिसालें पेश करते हैं :-

(१) मुहम्मद बिन इस्हाक मशहूर सीरत निगार हैं और उन से हदीसें भी नक़ल हुई हैं ।उन के बारे में अस्माउर रिजाल की किताबों में मुहद्दिसीन के अलग अलग बयानात मिलते हैं । इब्ने मोईन कहते हैं कि वे सिक़ा (विश्वस्नीय) हैं लेकिन हुज्जत नहीं हैं दार कुतनी कहते हैं वे क़ाबिले हुज्जत नहीं हैं । नसई कहते हैं वह क़वी (मज़बूत) नहीं हैं । हिशाम बिन उर्वा कहते हैं कि वह कज़्ज़ाब (झूठे) हैं। इमाम मालिक कहते हैं कि वह दज्जालों में से एक दज्जाल हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि वे अकसर असल रावी का नाम छिपा जाते हैं । यहया बिन क़तान कहते हैं मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद बिन इस्हाक झूठे हैं । इब्ने अदी

कहते हैं, उन की रिवायत कुबूल करने में कोई हरज नहीं इमाम मुस्लिम ने उन से पाँच हदीसें अपनी सही में बयान की हैं ।

(देखिए मीज़ानुल एतिदाल लिज़्ज़हबी जिल्द ३ पृष्ठ ४६८से ४७५)

(२) इब्ने जुरैज मशहूर सिक़ा रावी (विश्वास पात्र उल्लेखकर्ता) हैं लेकिन तदलीस किया करते थे यानी असल रावी का नाम छिपाते थे उन्हों ने सत्तर औरतों से मुतअः कर लिया था (आज की परिभाषा के अनुसार औरतों से Live in Relation में रहे) और इस को जायज़ समझते थे हालांकि अपने ज़माने में मक्का के फ़क़ीह (धर्मशास्त्री) थे अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि इब्ने जुरैज की कुछ मुर्सल हदीसें मौज़ुअ (गढ़ी हुई) होती हैं । (देखिए मीज़ानुल ऐतिदाल लिज़्ज़हबी जिल्द २ पृष्ठ ६५९)

इमाम मालिक कहते हैं कि इब्ने जुरैज हातिबुल्लैल (रात को लकड़ियाँ चुन लेने वाले) हैं । दार कुतनी कहते हैं कि वे बुरी तरह तदलीस करते हैं इब्ने हब्बान ने इन का ज़िक्र सिक़ा (विश्वस्नीय) रावियों में किया है । इमाम शाफ़िई कहते हैं कि इब्ने जुरैज ने सत्तर औरतों से मुतअः किया था । (तहज़ीबुत्तहज़ीब जिल्द ६ पृष्ठ ४०२)

(३) अम्र बिन शुऐब के बारे में हाफिज़ इब्ने हजर कहते हैं, अम्र बिन शुऐब को कुछ लोगों ने बिलकुल ज़ईफ़ कहा है लेकिन जम्हूर ने उन्हें सिक़ा करार दिया है और इन में से कुछ ने उन के अपने वालिद और उन की अपने दादा से रिवायत को ज़ईफ़ कहा है। इब्ने मुईन कहते हैं कि वह अपने आप में विश्वासपात्र (सिक़ा) हैं लेकिन उन की अपने बाप से और उन की अपने दादा से रिवायत हुज्जत नहीं है और न वह मुत्तसिल हैं यानी उन की रिवायतों में सहाबा के नाम का उल्लेख नहीं हैं लिहाज़ा वह ज़ईफ़ है मुर्सल के कबील से ।

(तहज़ीबुत्तहज़ीब जिल्द ८ पृष्ठ ४८)

(४) इब्ने शहाब ज़हरी बहुत बड़े और मशहूर मुहद्दिस हैं और उन की अकसर रिवायतें बुख़ारी और मुस्लिम में भी हैं ।

उन के बारे में अबू दाऊद के हवाले से बताया गया है कि जहरी की कुल बारह सौ हदीसों में से आधी मुस्तनद (प्रमाणिक) हैं और तक़रीबन दो सौ ग़ैर सिक़ा (अविश्वस्नीय) रावियों से उल्लिखित हैं इब्ने सअद कहते हैं कि ज़हरी सिक़ा हैं

और बहुत सी हदीसें उन्हों ने रिवायत की हैं उन का उर्वा से सुनना साबित नहीं है और इमाम अहमद कहते हैं कि उन्हों ने न इब्ने उमर से सुना और न उन्हें देखा (तहज़ीबुत्तहज़ीब जिल्द ९ पृष्ठ ४४५ से ४५१)

ज़हबी लिखते हैं कि ज़हरी हाफ़िज़ और हुज्जत हैं अलबत्ता वह उन हदीसों में जिन में अजीबो ग़रीब बातें बयान होतीं, तदलीस किया करते थे यानी सनदों में गड़बड़ किया करते थे, (मीज़ानुल एतिदाल जिल्द ४ पृष्ठ ४०)

यह कुछ मिसालें अस्माउर रिजाल की मुस्तनद तिकाबों से पेश की गई हैं इस से यह बात अच्छी तरह वाज़ेह हो जाती है कि कुछ सिक़ा रावियों के बारे में भी एहतमाल का पहलू होता है इस लिए जहाँ हदीस की सनद (प्रमाण) को देखना ज़रूरी है वहीं हदीस के मज़मून **(Text)** को देखना भी ज़रुरी है । और यहीं से दिरायत यानी विवेक पुर्ण तर्क से काम लेने की ज़रुरत और अहमियत खुल कर सामने आती है ।

दिरायत

रिवायत के मतन व मज़मून पर ज़रूरी शर्तों के साथ ग़ौर कर के उस के सही होने या कमज़ोर होने के बारे में किसी नतीजे पर पहुंचने को दिरायत कहते हैं।उसूले हदीस की मुस्तनद (प्रमाणिक) और मशहूर किताब अलकिफ़ाया फ़ी इल्मुर्रिवाया जिस को तैयार करने वाले ख़तीब बग़दादी (वफ़ात ४६३ हि.) है उन्हों ने दिरायत के मसले पर बड़ी अच्छी रौशनी डाली है फ़रमाते हैं :-

''ख़बरे वाहिद (एक ही आदमी से उल्लिखित की गई रिवायत) क़ुबूल नहीं की जा सकती अगर वह अक़्ल के ख़िलाफ़ हो, क़ुरआन के अटल और पुख़्ता हुक्म के ख़िलाफ़ हो, मालूम सुन्नत और सुन्नत की तरह जारी कामों के ख़िलाफ़ हो या पक्की दलीलों के ख़िलाफ़ हो।'' (अलकिफ़ाया पृष्ठ ५७७)

मुल्ला अली क़ारी ने ''अलअख़बार अलमौज़ूअ:''में लिखा है कि वे हदीसें गढ़ी हुई हैं जिसे क़ुरआन ने स्पष्ट रुप से बताया हो और वह रिवायत उस के ख़िलाफ़ हो । (पृष्ठ ३२३)

दायरा मआरिफ़ इस्लामीया (लाहौर) में दिरायत के उसूल पर अच्छी रौशनी डाली गई है ।

'' उसूले दिरायत में मुहद्दिसीन ने बताया कि नीचे लिखी सूरतों में रिवायत कमज़ोर और किसी हद तक अस्वीकार्य हो जाती है ''।

(१) जब कि वह अक़ल और बुद्धिमता के विपरीत हो । (२) किसी स्थापित उसूल के विपरीत हो (३) सही अनुभवों के विपरीत हो (४) क़ुरआन मजीद के विपरीत हो (५) सुन्नते नबवी के विपरीत हो (६) मुतवातिर हदीस के विपरीत हो (७)पक्के इजमाअ अर्थात उलमा की स्थापित सहमति के विपरीत हो (८) मामूली ग़लतियों पर हमेशा हमेशा के सख़्त अज़ाब की धमकी पर मुश्तमिल हो (९) अपने मज़मून और मायने के लिहाज़ से पस्त हो (१०) उसे सिर्फ एक रावी रिवायत करे हालांकि उस में कोई ऐसा वाक़िआ बयान किया गया हो जिस के घटित होने पर लोगों को उस से आगाह होना चाहिए था । रिवायत के बारे में ऊपर लिखे उसूलों की अल्लामा इब्ने जोज़ी ने तसरीह (تصریح) (तफ़सील) की है (फ़त्हुल मुग़ीस पृष्ठ ११४ मुद्रित लखनऊ) (११) उस में ऐसी फ़ुजूल बातें हों जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़बान से नहीं निकल सकतीं (१२)वह नबियों के कलाम से मेल न खाती हो (१३) उस में भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के तारिख़ और समय के साथ घटित होने को खुले तौर पर बयान किया गया हो। क्यों कि यह नबियों के तरीक़ो के विपरीत है (१४) हज़रत खिज्र के बारे में बातें हों ।'' (दायरा मआरिफुल इस्लामिया जिल्द ७ पृष्ठ ९७२)

कुछ बातें अपने आप में इतनी साफ़ स्पष्ट और ज़ाहिर होती हैं कि उस के ग़लत या सही होने के प्रमाण की ज़रुरत ही नहीं होती इस सिलसिले में हमें क़ुरआन से रहनुमाई मिलती है लिहाज़ा इफ़्क यानी झूठे बोहतान का वाक़िआ है। इस के बारे में अल्लाह तआला ने फ़रमाया :-

وَلَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُوْنُ لَنَآ اَنْ نَّتَكَلَّمَ بِهٰذَا سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ۔ (النور۔١٦)

अर्थ :- ''जब तुम ने यह बात सुनी तो क्यों न कह दिया कि हमें ऐसी बात ज़बान पर लाना ज़ेब नहीं देता । सुबहानल्लाह यह तो बहुत बड़ा बोहतान है।'' (अन्नूर - १६)

यानी बोहतान का यह वाकिआ खुले रुप से खुद ही इतना ग़लत था कि किसी

छान बीन की कोई ज़रुरत ही न थी कि इस के रावी कौन हैं और वे कैसे हैं बल्कि सुनते ही इस को रद्द कर देना चाहिए था, इस से रिवायात के बारे में हमें उसूली रहनुमाई मिलती है कि जिन रिवायतों में ऐसी बातें बयान हुई हों जिन से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या किसी भी नबी की शख्सियत मजरुह या धूमिल होती हो, या आप के सच्चे साथियों पर बोहतान की हैसियत रखती हो जो कि दीन के जाने माने उसूलों या स्थापित मूल्यों के ख़िलाफ़ हों उन्हें फौरन रद्द कर देना चाहिए इस बहस में पड़े बग़ैर कि इस के रावी भरोसेमंद हैं या नहीं मिसाल के तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू के असर की हदीस जो बुखारी में बयान हुई है जब कि क़ुरआन कुफ़्फ़ार के इस इल्ज़ाम की तरदीद (खण्डन) करता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का या जुनून का असर हुआ है इन्सान होने के बावजूद जिस तरह आप जुनून में मुब्तिला नहीं हो सकते थे उसी तरह आप पर जादू का असर भी नहीं हो सकता था। इस लिए आप पर जादू के असर वाली रिवायत यक़ीन के क़ाबिल ही नहीं है और किसी बहस में पड़े बग़ैर इसकी तरदीद की जानी चाहिए ।

इस की दूसरी मिसाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तीन झूठ बोलने की हदीस है जिस को बुख़ारी ने रिवायत किया है (बुख़ारी किताब अहादीसुल अंबिया) जब कि क़ुरआन उन के बारे में कहता है :-

اِنَّه كان صِدِّيقاً نَبِيّاً۔ (مریم۔۴۱)

अर्थ :- इब्राहीम य़कीनन सच्चा था और नबी था ।'' (मरयम - ४१)

झूठ को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जोड़ देने से उन की शख्सियत मजरुह होती है । इस लिए ऐसी रिवायत को हरगिज़ क़ुबूल नहीं किया जा सकता इस सिलसिले में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी तफसीर तर्जुमानुल क़ुरआन में साफ़ साफ़ लिखा है ।

''बिलाशुबह (निस्संदेह) रिवायत सही बुख़ारी और सही मुस्लिम की है लेकिन इस तेरह सौ बरस के अन्दर किसी मुसलमान ने भी राविय़ाने हदीस की इस्मत का दावा नहीं किया है न इमाम बुख़ारी और मुस्लिम को मासूम तस्लीम किया है --------- पस अंबिया किराम की सच्चाई और इस्मत यक़िनिय्याते दीनिया

व तकलीद में से है (यानी नबियों का हर ग़लतियों से पाक होना दीन के स्थापित मूल्यों में से है और उन का अनुपालन भी अनिवार्य है)।

रिवायात की क़िस्मों में से कितनी ही बेहतर क़िस्म की कोई रिवायत हो वह बहरहाल एक गैर मासूम रावी की शहादत से ज़्यादा नहीं और ग़ैर मासूम की शहादत (गवाही) एक लम्हे के लिए यक़ीनिय्याते दीनिया (दीन के स्थापित मूल्यों) के मामले में तसलीम नहीं की जा सकती हमें मानना पड़ेगा कि यह अल्लाह के रसूल का कौल नहीं हो सकता । यक़ीनन यहाँ राविय़ों से ग़लती हुई है ।''(तर्जुमानुल कुरआन जिल्द २ पृष्ठ ४९९)

इस की तीसरी मिसाल सही मुस्लिम की वह रिवायत है जिस में हज़रत अबू हुरैरा का यह बयान नक़ल किया गया है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास मौत के फ़रिश्ते को भेजा तो उन्हों ने मौत के फ़रिश्ते को एक तमाँचा मारा जिस से मलकलमौत (मौत के फ़रिश्ते) की एक आँख फूट गई और वो अपने रब की तरफ़ वापस लोट गए। (मुस्लिम किताबुल फ़ज़ाइल)

सोचिए फरिश्ते का वजूद तो भौतिक (माद्दी) नहीं है कि उस की आँख फूट जाए और यह नाशाइस्ता (अशिष्ट) हरकत एक नबी क्यों करने लगे और मलकलमौत रुह क़ब्ज़ किए बग़ैर वापस होने लगे । जब कि मौत न तो अपने नियमित समय से एक लम्हा पहले आ सकती है न तो एक लम्हा बाद, मालूम होता है कि यह किस्सा इस्राईलियात में से है जो किसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ीयल्लाहु अन्हु से जोड़ दिया गया है । बहरहाल ऐसी फ़ुज़ूल रिवायत को हरगिज़ क़ुबूल नहीं किया जा सकता , कुछ रिवायतें तारीखी तौर पर भी ग़लत हैं मिसाल के तौर पर बुख़ारी की रिवायत कि जंगे बद्र के मौक़े पर हज़रत मिक़दाद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि हम आप से वह बात हरगिज़ न कहेंगे जो बनी इस्राईल ने हज़रत मूसा से कही थीं कि :-

فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاَ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ۔ (المائدہ : ۲۴)

अर्थ :- ''आप और आप का रब जाएं और लड़ें हम यहाँ बैठे रहेंगे.'' (बुखारी किताबुत्तफ़सीर)

जब कि सूरह माइदा सन ६ हिजरी सुलह हुदैबिया के बाद नाज़िल हुई और

जंगे बद्र सन २ हिजरी में हुई थी। फिर हज़रत मिक़दाद ने जंगे बद्र के मौक़े पर सूरह माइदा की आयत का हवाला कैसे दिया जो उस वक़्त तक नाज़िल ही नहीं हुई थी ?

सही बुख़ारी और सही मुस्लिम पर इस तनक़ीद (आलोचना) का हरगिज़ यह मंशा नहीं है कि इन किताबों की क़द्र क़ीमत घटा दी जाए। इन मुहद्दिसीन ने सही हदीसों को जमा करने की जो भारी ख़िदमत अंजाम दी है उन के लिए पूरी उम्मत उन की एहसानमंद है और इन किताबों से भरपूर लाभ उठाया जा रहा है लेकिन इन्सान बहरहाल इन्सान है उस के काम में कहीं कुछ कमी कुछ त्रुटि रह ही जाती है बुखारी और मुस्लिम ने हदीस के ज़खीरे में से सही हदीसें छाँटने की अनथक कोशिशें कीं लेकिन उन से कोताहियां हुईं और कुछ कमियाँ त्रुटियाँ रह गईं । लिहाज़ा यह कहना कि सही बुख़ारी और सही मुस्लिम की हदीसों पर इजमाअ या सहमति है और उन की किसी हदीस पर तनक़ीद नहीं की जा सकती सरासर ग़लत दावा है पहली बात तो सही बुख़ारी और सही मुस्लिम का संकलन अहदे रिसालत के दो सौ साल बाद हुआ इस लिए सवाल पैदा होता है कि सहाबा के दौर में हदीस की किस किताब पर इजमाअ (सहमति) था ? फिर बुखारी और मुस्लिम पर मुहद्दिसीन और उलमा ने तनक़ीद भी की है। मिसाल के तौर पर इमाम दार क़ुतनी ने बुखारी और मुस्लिम की एक सौ से अधिक हदीसों में इल्लत (कमज़ोरी) बयान की है जिस का जवाब हालांकि अल्लामा इब्ने हजर ने मुक़दमा फ़त्हुलबारी में दिया है लेकिन इस से यह तो साबित हुआ कि सही बुख़ारी तनक़ीद से परे नहीं इमाम सुयूती फ़रमाते हैं।''सही मुस्लिम में ऐसी हदीसें भी मौजूद हैं जिन के कुछ रावी संदिग्ध हैं और उन में से कुछ हदीसें ऐसी हैं जिन के बीच के रावी ग़ायब (मुनक़ता) हैं (उलूमुलहदीस पृष्ठ २९० बहवाला अत्तदरीब पृष्ठ ११७, ११८)

अल्लामा इब्ने हजर कहतें हैं :-

''बुखारी के अस्सी अफ़राद की कमियों के बारे में कलाम किया गया है इसी तरह मुस्लिम के एक सौ साठ अफ़राद के बारे में।''(मुक़दमा फ़त्हुलबारी पृष्ठ -१०)

सही मुस्लिम की हदीस

لا يَشْرِبَنَّ اَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِماً فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ

अर्थ :- '' तुम में कोई शख़्स खड़े हो कर न पिये और जो भूल जाए तो उसे चाहिए कि क़ै कर दे यानी उलटी कर दे ।''

इस हदीस के रावी उमर बिन हमज़ा हैं जिन के बारे में अल्लामा अलबानी कहते हैं कि ''इन को इमाम अहमद, इब्ने मुईन, और नसई वग़ैरह ने ज़ईफ़ क़रार दिया है और इमाम ज़हबी ने इन का ज़िक्र कमज़ोर लोगों में किया है ।(सिलसिलतुल अहादीसुज़्ज़ईफ़ा जिल्द २ पृष्ठ ३२६)

हदीस जब क़ुरआन और सुन्नत के ख़िलाफ़ हो

जो हदीस क़ुरआन और सुन्नत से किसी तरह मेल न खाती हो बल्कि उन के ख़िलाफ़ हो उस को हरगिज़ क़ुबूल नहीं किया जा सकता । हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की मिसाल हमारे सामने है उन्होंने फ़ात्मा बिन्ते क़ैस की जो सहाबिया हैं इस हदीस को क़ुबूल करने से इन्कार कर दिया कि जिस औरत को तीन तलाक़ दी गई हों उस के लिए नुफ़क़ा नहीं है। सही मुस्लिम में है :-

قَالَ عُمَر لَا نَتْرُكُ كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا ﷺ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِيْ لَعَلَّهَا حَفِظَتْ اَوْ نَسِيَتْ ،لَهَا السُّكْنٰى وَالنَّفَقَةُ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّا اَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ۔ (مسلم کتاب الطلاق)

अर्थ:-'' हज़रत उमर ने फ़रमाया : एक औरत के कहने पर हम अल्लाह कि किताब और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को नहीं छोड़ेंगे जब कि हम नहीं जानते, उस औरत ने याद रखा या भूल गई ? तीन तलाक़ पाई हुई औरत के लिए रिहाइश (सकना) भी है और नुफ़्क़ा भी, अल्लाह तआला ने फ़रमाया है, उन को अपने घरों से न निकालो और न वह ख़ुद निकलें यह और बात है कि वे खुली बेहयाई कर बैठें।'' (मुस्लिम किताबुत्तलाक़)

तो क्या हज़रत उमर हदीसें क़ुबूल करने से इनकार करते थे, नहीं बल्कि हदीस के मतन (Text) को भी देखते थे कि वह क़ुरआन और सुन्नत के ख़िलाफ़ तो नहीं है, वरना जहाँ तक रावी के विश्वस्नीय (सिक़ा) होने का ताल्लुक है हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस तो सहाबिया थीं, हजरत उमर ने उन्हें झुठलाया नहीं बल्कि

फ़रमाया ''मालूम नहीं '' फातिमा बिन्त क़ैस ने हदीस को याद रखा या उन से भूल हुई।

हज़रत आइशा की मिसाल भी हमारे सामने है । जब हजरत इब्ने उमर ने हदीस सुनाई कि बद्र की जंग में मारे गए विरोधियों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़िताब कर के पूछा कि क्या तुम ने अपने रब के वादे को सच्चा पा लिया ?फ़िर आप ने फ़रमाया कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ उस को ये (मुर्दे) सुन रहे हैं ।लेकिन जब हज़रत आइशा से इस का ज़िक्र किया गया तो उन्हों ने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यह फ़रमाया था कि अब उन्हें अच्छी तरह मालूम हो गया है कि जो कुछ मैं कहता या वह हक़ है फिर हज़रत आइशा ने यह आयत पढ़ी انک لاتسمع الموتی (तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते) (बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी)

देखिए हज़रत आइशा ने किस तरह हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर की एक हदीस पर पकड़ की हालांकि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर भी सहाबी हैं फिर हज़रत आइशा ने न सिर्फ़ यह कि सही वाक़िया पेश किया बल्कि क़ुरआन की आयत से भी इस्तिदलाल किया कि मुर्दे सुनते नहीं हैं । और जब सहाबा किराम एक दूसरे की रिवायत की हुई हदीसों को क़ुबूल करने में एहतियात बरतते थे और उन को क़ुबूल या रद्द करने का फ़ैसला क़ुरआन की कसौटी पर परख कर करते थे तो बाद वालों को कहाँ से यह छूट मिल गई कि हदीस के मतन या मज़मून **(Text)** को देखने की ज़रूरत नहीं सनद का सही होना काफी है ।

मौज़ू हदीस (गढ़ी हदीस)

यह भी जानना ज़रूरी है कि हदीसों में मौज़ू यानी गढ़ी हुई हदीसों की भी मिलावट होती है मौज़ू हदीस वह है जो गढ़ कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब (संबंधित) कर दी गई हो। आप की तरफ़ झूठ मंसूब करने वाले को जहन्नम की सज़ा का वादा सुनाया गया है ।

مَنْ تَعَمَّدَ عَلَیَّ كَذِباً فَلْيَتَبَوَّ أْمَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ ۔ (بخاری کتاب العلم)

अर्थ:- '' जिस ने जान बूझ कर मुझ पर झूठ लगाया वह अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले । (बुख़ारी किताबुल इल्म)

यह भी फ़रमाया :-

مَنْ رَوٰی عَنِّیْ حَدِیْثاً یَرٰی اَنَّهٗ کَذِبٌ فَهُوَ اَحَدُ الْکَذَّابِیْنَ ۔ (مقدمہ صحیح مسلم)

अर्थ:- ''जिस ने मेरे नाम से हदीस बयान की और वह जानता है कि यह झूठ है तो वह झूठों में से एक है ''। (मुक़दमा सही मुस्लिम)

इस धमकी के बावजूद झूठ बोलने वालों ने बहुतेरी हदीसें गढ़ीं । जब उम्मत में तरह तरह के फितने उठ खड़े हुए तो मतलब परस्त लोगों ने अपने अपने मतलब की हदीसें गढ़ना शुरू कर दीं ।''इमाम मुस्लिम ने अपने मुक़दमे में इस पर गुफ़तगू की है और अबू जाफ़र हाशमी मदनी की मिसाल पेश करते हुए लिखा है कि वह हदीसें गढ़ लिया करता था। बात बिलकुल हक़ होती लेकिन नबी की हदीस न होती और उन को नबी का बयान बता दिया जाता ।''

(मुकदमा सही मुस्लिम पृष्ठ - २२)

हदीसें गढ़े जाने के कारण

हदीसों के गढ़ने की जसारत जो लोगों ने की है तो उस की अलग अलग वजहें हैं ।

एक वजह तो सियासी इख़्तिलाफ़ात (मतभेद) थे । ख़िलाफत के मसले पर जो इख़्तिलाफात हुए उन के पेशे नज़र खलीफाओं के हक़ (पक्ष) में या फिर उन के खिलाफ़ हदीसें गढ़ी गईं और बाद में बनू उमैय्या और अब्बासी खलीफाओं को खुश करने के लिए भी मौक़ा परस्त लोग हदीसें गढ़ कर उन को सुनाते रहे अमीर मुआविया के पक्ष में भी हदीस गढ़ ली गई और उन की मुख़ालफत में भी। उन के पक्ष में इस तरह कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया :- ''मुआविया क़ियामत के दिन इस हाल में उठाए जाएंगे कि उन पर नूर की चादर होगी ''।और मुख़ालफत में इस तरह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया :-'' जब तुम मुआविया को मेरे मिम्बर पर देखो तो क़त्ल कर दो।''(अलमौज़ूआत इब्ने जौज़ी जिल्द २ पृष्ठ २३ और २६) ख़लीफ़ा महदी की ताईद (पक्ष) में हदीस गढ़ी गई । रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ''जब तुम ख़ुरासान से काले झंडा बरदारों को आते हुए देखो तो उन का

इस्तेकबाल करो क्योंकि उन में ख़लीफ़ा महदी होंगे ।(अल मौज़ूआत जिल्द २ पृष्ठ -२९)

दूसरी वहज मुसलमानों की फ़िरक़ा बंदियां थीं , अतः अपने अपने फ़िरक़े की ताईद में हदीसें गढ़ी गईं । शीआ इस में पेश पेश रहे। बल्कि शुरुआत उन्हीं से हुई। ग़दीरे ख़ुम की हदीस कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया :- ''अली मेरे वसी (रिक्ताधिकारी यानी मेरे बाद मेरी जगह पर वही) हैं '' शीओं की मनगढ़ंत हदीस है (अस्सुन्नः मुस्तफ़ा सबाई पृष्ठ ८०) इसी तरह यह हदीस भी उन्हीं की गढ़ी हुई है कि हज़रत सलमान से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अली मेरे जानशीन हैं।''(मीज़ानुल एतिदाल जिल्द १ पृष्ठ ५८४)

उन की गढ़ी हुई एक और रिवायत भी देखिए जिसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है :-

इबादह बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि हज़रत अली ने फ़रमाया, मैं अल्लाह का बन्दा और उस के रसूल का भाई हूँ और मैं सिद्दीके अकबर (सब से बड़ा सच्चा) हूँ और जो मेरे बाद सिद्दीक होने का दावा करे वह झूठा है मैं ने लोगों से सात साल पहले नमाज़ पढ़ी थी ? (इब्ने माजा जिल्द १ पृष्ठ ७६) इब्ने जौज़ी ने इस हदीस को मौज़ू (गढ़ी हुई) क़रार दिया है ।(अल मौज़ूआत जिल्द १ पृष्ठ ३४१)

दूसरी तरफ़ शीओं के जवाब में भी हदीसें गढ़ी गईं जैसे कि अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी की यह रिवायत कि मैं ने देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली पर टेक लगाए हुए हैं। इसी इतने में अबू बक्र और उमर तशरीफ़ लाए तो आप ने फ़रमाया ऐ अबूलहसन इन दोनों से मुहब्बत रखो कि इन को महबूब रखने से तुम जन्नत में दाखिल होगे ।(अल मौज़ूआत इब्ने जौज़ी जिल्द १ पृष्ठ ३२३)

तीसरी वजह कुछ सूफ़ियों और ज़ाहिदों का (जो दुनिया का मोह नहीं रखते) उन का आमाल की फ़ज़ीलतों के मामले में हद से आगे बढ़ जाना है । उन्हों ने नेक अमल का शौक दिलाने और बुरे आमाल के बुरे अंजाम से डराने के लिए हदीसें गढ़ीं। और आम लोग उन की तल्लीन इबादतों व दुनिया से बे नियाज़ ज़िन्दगियों को देख कर धोखे में आ जाते और उन की मनगढ़ंत हदीसों को तस्लीम कर लेते लिहाजा क़ुरआन की सूरतों (Chapters) और मुख़्तलिफ अज़कार

(दुआओं) की फ़ज़ीलत में बहुतेरी हदीसें गढ़ी गईं कुछ मिसालें देखिए :-

(१) ''जिस ने मुझ पर जुमे के दिन अस्सी बार दरुद भेजा अल्लाह उस के अस्सी साल के गुनाह माफ़ कर देगा ।''

इस हदीस को अल्लामा अलबानी ने मौज़ू (गढ़ी हुई) कहा है और लिखा है कि इब्ने जौज़ी ने इस को बे सिर पैर की हदीस में शुमार किया है ।(सिलसिलतुल अहादीस अज़्ज़ईफ़ा वलमौज़ूअः, नासिरुद्दीन अलबानी जिल्द १ पृष्ठ २५१)

(२) ''जिस ने मुझ पर एक बार दरूद भेजा उस के गुनाह ज़र्रा बराबर भी बाक़ी नहीं रहेंगे ।'' (मौज़ूआतुस्सग़ाली पृष्ठ ४१)

(३) '' जिस ने बैतुल्लाह का हज्ज किया और मेरी ज़ियारत नहीं कि उस ने मुझ पर ज़ुल्म किया।''(मौज़ूआतुस्सग़ाली पृष्ठ ४३)

(४) ''ग़ीबत ज़िना से ज़्यादा शदीद है।'' ((मौज़ूआतुस्सग़ाली पृष्ठ ५९)

(५) '' रज्जब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना।''(मौज़ूआतुस्सग़ाली पृष्ठ ७२)

(६) ''फ़क्र (गरीबी) मेरा फ़ख्र है और इस पर मैं फ़ख्र करता हूँ ।'' (अख़्बारुल मौज़ूआ मुल्ला अली क़ारी पृष्ठ १६६)

(७) '' जिस ने मग़रिब के बाद ६ रकअतें पढ़ीं और दरम्यान में बात नहीं की तो वह उस के लिए बारह साल की इबादत के बराबर होंगी।'' (उक्त हवाला पृष्ठ २९४)

चौथी वजह मसलकी मतभेद हैं जिस की बुनियाद पर अपने अपने मसलक की ताईद में हदीसें गढ़ी गईं जिन के नमूने फ़िक़्ही किताबों में देखे जा सकते हैं मिसाल के तौर पर बैहकी की यह हदीस कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ शुरू करते तो अपने दोनों हाथ उठा लेते फिर उसे दोबारा न करते यानी फिर रफ़ा यदैन न करते सही हदीसों के ख़िलाफ़ है अल्लामा अलबानी ने इस के बारे में लिखा है यह बातिल और मौज़ू (गढ़ी हुई)हैं ।

(सिलसिलतुल अहादीसुज़्ज़ईफ़ा वल मौज़ूअः जिल्द २ पृष्ठ ३४६)

इसी तरह यह हदीस भी गढ़ी हुई है कि ''जिसने नमाज़ में अपने हाथ उठाए (यानी रफ़ा यदैन किया) उस की नमाज़ नहीं होगी ।'' (अस्सुन्नह मुस्तफ़ा सबाई पृष्ठ ८७)

पांचवी वजह क़िस्सों और नसीहतों के ज़रिए समझाने बुझाने वाले वाइज़ो का अवाम को अपनी तरफ मुतवज्जह (ध्यान) करने के लिए अजीबो ग़रीब बातों पर मुश्तमिल मनगढ़ंत हदीसें बयान करना है मिसाल के तौर पर यहाँ एक वाक़िआ पेश किया जाता है । एक बार का ज़िक्र है कि इमाम अहमद बिन हंबल और मुहद्दिस यहया बिन मुईन ने एक मस्जिद में नमाज़ पढ़ी तो एक क़िस्सा गो शख़्स खड़ा हुआ और उस ने कहा कि हम से अहमद बिन हम्बल और यह्या बिन मोईन ने बयान किया कि हम से अब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने क़तादा के वास्ते से और उन्हों ने हज़रत अनस के वास्ते से बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जन्नत में मुश्क और ज़ाफ़रान की हूर होंगी जिस की कमर एक एक मील लम्बी और चौड़ी होगी और अल्लाह अपने दोस्त को सफेद मोतियों का महल अता करेगा जिस के हर मक़सूरह (छोटे हिस्से) में सत्तर हज़ार गुंबद (कुब्बे) होंगे.''यह सुन कर यह्या ने कहा है मैं हूँ यहया और यह हैं अहमद बिन हंबल, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह हदीस नहीं सुनी क़िस्स गो ने तुरंत जवाब दिया क्या दुनिया में तुम्हारे सिवा यहया बिन मोईन और अहमद बिन हंबल नहीं हैं ।''

(अस्सुन्नः मुस्तफ़ा सबाई पृष्ठ ८६)

इन वजहों के अलावा एक बड़ी बुनियादी वजह इस्लाम दुश्मनों का, इस्लाम का रुप धार कर दिलों में शक शुबहे पैदा कर के दीन को गदला कर के इस्लाम के बढ़ते सैलाब को रोकना और उस के निज़ाम को ध्वस्त करना था । इस की शुरुआत सबाई फ़ितने से हुई थी बाद में खुदा के इनकारियों व दीन के विरोधियों और इस्लामी चेहरा बना कर फ़ितना परवर यहूदियों ने हदीसें गढ़ कर दीन को संदिग्ध बनाने की कोशिश की। लेकिन अल्लाह तआला का इस उम्मत पर बड़ी मेहरबानी हुई कि उस ने ऐसे मुहद्दिसीन पैदा कर दिए जिन्होंने खरे को खोटे से अलग कर दिया मगर अफ़सोस है कि बसीरत और सूझ बूझ से काम न लेने वाले उलमा कितनी ही गढ़ी हुई हदीसों का शिकार हो कर रह गए। गढ़ी हुई हदीसों की कुछ उदाहरण देखिए ।

(१) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ''जिस के यहाँ लड़का पैदा हुआ और उस ने उस का नाम मुहम्मद रखा आप की बरकत हासिल

करने के लिए तो वह और उस का लड़का दोनों जन्नत में होंगे ।''

(अलमौज़ूआत इब्ने जौज़ी जिल्द १ पृष्ठ १५७)

(२)रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ''सुलेमान बिन दाऊद की अंगूठी पर नक़्श था لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہِ ''ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह '' (मौज़ूआत इब्ने जौज़ी पृष्ठ २०१)

(३) बैगन में हर मरज़ की शिफ़ा है (मौज़ूआत इब्ने जौज़ी जिल्द २ पृष्ठ ३०१)

वाज़िईने हदीस (हदीसें गढ़ने वाले)

हदीस गढ़ने वाले भी कुछ कम न थे बल्कि एक तादाद थी जो इस काम में लगी रही अब्दुल करीम बिन अबिल उर्जा (عبدالکریم بن ابی العرجاء) को जब हदीस गढ़ने के जुर्म मे क़त्ल के लिए लाया गया तो उस ने माना कि मैं ने चार हज़ार हदीसें गढ़ी हैं । (मौज़ूआत इब्ने जौज़ी पृष्ठ३७)

अबू इस्मह नूह बिन अबी मरयम अलमरोज़ी (ابوعصمہ نوح بن ابی مریم المروزی) ने क़ुरआन की फ़ज़ीलत से जुड़ी हदीसें गढ़ी थीं और यह पूछे जाने पर कि इक्रिमा से यह हदीसें कैसे मिलीं उस ने जवाब दिया जब लोगों की तवज्जोह क़ुरआन की तरफ़ से हट गई और वह अबू हनीफ़ा की फ़िक्ह और इब्ने इस्हाक की मग़ाज़ी में लग गये (Involve हो गये) तो मैं ने यह हदीसें नेक इरादे से गढ़ी ।(उक्त हवाला पृष्ठ ४१)

हदीस गढ़ने वाले चार लोग मशहूर थे , मदीना में इब्ने अबी यहया , बग़दाद में वाकिदी , ख़ुरासान में मक़ातिल बिन सुलैमान और शाम में मुहम्मद बिन सईद। (उक्त हवाला पृष्ठ ४८)

सब से पहले इराक़ में हदीसें गढ़ी गईं और उन के गढ़ने वाले शीआ थे मुहद्दिस ज़हरी कहते हैं :-

'' हमारे पास से हदीस बालिश्त भर निकलती है और जब इराक़ से हमारे पास लौटती है तो वह बाज़ू बराबर हो जाती है और इमाम मालिक इराक़ को हदीस का टकसाल (दारुज़्ज़रब دار الضرب)कहते थे और इमाम शाफ़िई कहते हैं ख्वाहिश परस्तों में राफ़िज़ियों से ज्यादा झूठ बोलने वाला मैं ने किसी को नहीं देखा''।

(अस्सुन्नः मुस्तफ़ा सबाई पृष्ठ ७९) इमाम शाफ़िई कहते हैं कि वाक़िदी की किताबें झूठी है और इसहाक़ बिन राहविया (راھویہ) कहते हैं वे हदीसें गढ़ लिया करते थे ।

(किताबुलजिरह वत्तादील इब्ने अबी हातिम जिल्द ८ पृष्ठ २१)

उसूलुल काफ़ी

हदीस पर शीओं की सब से मुस्तनद (प्रमाणिक) किताब उसूलुल काफ़ी है जिस को कुलीनी (کُلینی) (वफ़ात ३२९ हि.) ने मुरत्तब (संकलित) किया है इस में बहुतेरी हदीसें हज़रत जाफ़र सादिक़ के वास्ते से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ़ मंसूब हैं जब कि हज़रत जाफ़र सादिक़ (जिन के नसब का सिलसिला जाफ़र बिन मुहम्मद बिन अली बिन हुसैन बिन अली है और जिन की पैदाइश ८० हिजरी में और वफ़ात १४८ हिजरी में हुई थी) ताबिई हैं इस लिए उन्हों ने तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीसें सुनी नहीं दरम्यान में सहाबा का वास्ता होना चाहिए लेकिन शीआ चूँकि सहाबा किराम को बुरा भला कहते हैं इस लिए उन के वास्ते से रिवायत करना भी पसंद नहीं करते सिवाय दो चार सहाबा के, लिहाज़ा यह हदीसे मुर्सल क़रार पाती हैं और मुर्सल हदीस के बारे में हम इमाम मुस्लिम का कौल नक़ल कर चुके हैं कि वह हुज्जत नहीं होतीं यानी उस से कोई नतीजा नहीं निकाला जा सकता और यही अधिकांश (जम्हूर) उलमा का मसलक है फिर सवाल यह भी पैदा होता है कि ये हदीसें हज़रत जाफ़र सादिक़ को जिन को शीआ इमाम मानते हैं कहाँ से मालूम हो गईं और कैसे याद हो गईं। हदीसों के मतन से भी मालूम होता है कि रावियों ने बहुत सी रिवायतें गढ़ कर हज़रत जाफ़र सादिक की तरफ़ जिन की कुन्नियत (वह उपनाम जो बाप के ताल्लुक़ से बोला जाता है) अबू अब्दुल्लाह है से मंसूब कर दी हैं (यानी उन से जोड़ दी हैं)इब्ने हबान कहते हैं वह सिक़ा हैं और सादात अहले बैत में से हैं लेकिन उन की ही हदीसों से इस्तिदलाल (तर्क) किया जा सकता है जो उन की औलाद के अलावा किसी और ने रिवायत की हो। (तहज़ीबुत्तहज़ीब जिल्द २ पृष्ठ १०४)

लिहाज़ा इस में उल्लिखित (दर्ज) बहुत सी हदीसें न अपनी सनद (प्रमाण) के

लिहाज़ से सही हैं और न दिरायत (तर्क विमर्श) के लिहाज़ से ।

इस किताब में हज़रत जिब्रील की तरफ़ भी झूठ मंसूब किया गया है चुनांचे एक रिवायत में है कि हज़रत जाफ़र ने फ़रमाया हज़रत फ़ातिमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद पचहत्तर दिन ज़िन्दा रहीं । उन्हें अपने बाप के इन्तिक़ाल का बहुत ज़्यादा ग़म था इस लिए जिब्रील अलैहिस्सलाम उन के पास आते और उन का ग़म दूर करते और उन्हें उन के बाप के बुलंद मक़ाम की ख़बर देते और इस बात से भी उन्हें बाख़बर करते कि उन के इन्तिक़ाल के बाद उन की औलाद के साथ क्या कुछ होने वाला है । हज़रत अली इन बातों को लिखते, यह फ़ातिमा अलैहिस्सलाम का सहीफ़ा है । (उसूलुलकाफ़ी जिल्द १ पृष्ठ १८८)

एक और रिवायत में सूरह नूर की आयत اللہ نور السمٰوات والارض (अल्लाह आसमानों और ज़मीन का नूर है) का अजीबों ग़रीब मतलब बताया गया है।अबू अब्दुल्लाह (हज़रत जाफर सादिक़) ने फ़रमाया की इस आयत में मिशकात से मुराद हज़रत फ़ातिमा हैं, मिस्बाह से मुराद हज़रत हसन हैं , ज़ुजाजः से मुराद हज़रत हुसैन और कौकब दुर्री से मुराद हज़रत फ़ातिमा हैं, दुनिया की औरतों के दरम्यान --------------नूरुन अला नूर यानी इमाम के बाद इमाम और يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ (यहदिल्लाहु लिनूरिही मंय्यशा) से मुराद यह है कि अल्लाह जिस को चाहता है इमामों की तरफ़ हिदायत देता है (उसूलुल काफ़ी जिल्द १ पृष्ठ १५१)

इस तरह से मतलब निकालना जो समझ से बिलकुल परे हो बिल्कुल वैसी ही हरकत है जो यहूदी अल्लाह की किताबों के साथ करते रहे हैं जिस पर पकड़ करते हुए अल्लाह तआला ने क़ुरआन में फ़रमाया :-

يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ۔ (مائدہ۔۱۳)

अर्थः- ''वे बातों को अपनी जगह से फेर देते हैं।'' (माइदा -१३)

रिवायत परस्ती

ख़िलाफ़ते राशिदा में हदीसों को क़ुबूल करने का जो मेयार रहा है उस में धीरे

धीरे कमी होने लगी और जब रिवायतों में बेएहतियाती होने लगी तो हदीस के उसूल तय किए गए और मुहद्दिसीन ने हदीस को क़ुबूल करने के लिए एक मेयार (पैमाना) क़ायम किया । मगर रिवायत की अधिकता (कसरत) और उलमा की आरामतलबी (असक्रियता) के नतीजे में हर क़िस्म की रिवायतों को क़ुबूल करने का रुझान बढ़ा और फन्नी बहसें ऐसी की जाने लगीं कि कमज़ोर से कमज़ोर रिवायत भी क़ुबूल कर लेने के पैमाने पर आ जाए । यहाँ तक की तहक़ीक़ (शोध कार्य) की जगह रिवायत परस्ती ने ले ली। हाफ़िज़ इब्ने हजर जैसा बड़ा आलिम और उच्चकोटि का मुहद्दिस भी दिरायत (तर्क विमर्श) से कन्नी काटते हुए ज़्यादा से ज़्यादा रिवायतों को क़ाबिले क़ुबूल बनाने की कोशिश करता है इस की बहुत साफ़ और खुली मिसाल ग़रानीक़ (जिस में बुतों की तारीफ़ की गई है) वाली रिवायत है इस बेहूदा रिवायत को मुहद्दिसीन ने रद्द कर दिया है लेकिन हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़रमाते हैं कि ''यह बहुत से तरीक़ों से उल्लिखित है इस लिए इस की असल ज़रुर है।'' (फ़त्हुल बारी जिल्द ८ पृष्ठ ३३३)

इमामा ग़ज़ाली की किताब ''अहयाउल उलूम'' अख़्लाक़ संवारने वाली किताब है जिस में तरबियत और नफ़्स के तज़किये यानी अन्तर्मन को पाक साफ़ रखने का बेहतरीन सामान किया गया है मगर इस की बहुत बड़ी ख़ामी यह है कि इस में कमज़ोर और ज़ईफ़ ही नहीं बल्कि गढ़ी हुई हदीसें भी नक़ल की गई हैं जैसे कि सही हदीसों की ज़रुरत ही नहीं समझी गई और हर क़िस्म की रिवायतों पर भरोसा किया गया ।

कश्शाफ़ जैसी तफ़सीर में जो काफ़ी मक़बूल हुई क़ुरआन करीम की सूरतों के फ़ज़ाइल में ज़ईफ़ बल्कि गढ़ी हुई हदीसें तक नक़ल की गईं इसी तरह दूसरी कई अरबी तफ़सीरों में इस्राईलियात ने भी जगह पाई और हमारे ज़माने का ताज़ा वाक़िआ यह है कि आम आदमी की इस्लाह और सुधार के लिए किताब ''फ़ज़ाइले आमाल'' लिखी गई जिस में बेशक ज़ईफ़ और गढ़ी गई रिवायतों की भरमार है। क्या यह रिवायत परस्ती नहीं है ?

हदीस के मामले में एतिदाल (संतुलन) की राह

ऊपर कही बातों से यह साफ हुआ कि हदीस के मामले में अतिवादिता ग़लत

और बड़ी ही ग़ैर ज़िम्मेदाराना बात है । न तो सरसरी अध्ययन के नतीजे में हदीस का सही मतलब समझ में न आने की बिना पर उसे रद्द कर देना चाहिए और न उन रिवायतों को जो खुले तौर पर हदीसे रसूल नहीं हो सकतीं या वे हदीसें जो साफ़ साफ़ क़ुरआन और सुन्नत के विपरीत हैं क़ुबूल कर लेना चाहिए । बल्कि जिन हदीसों की सनदों (प्रमाण) या मतन (Text) में कोई कमी या ख़ामी ज़ाहिर हो रही हो उन के बारे में थोड़ा ठहरना चाहिए और पूरी तरह तहक़ीक़ के बाद ही उन के बारे में पक्की राय क़ायम करना चाहिए ।

रिवायतों के क़ुबूल करने में मोहतात न होना और हर क़िस्म की अल्लम ग़ल्लम रिवायतें क़ुबूल करना खुली रिवायत परस्ती है अगर उन उलमा का जो गहरी सूझ बूझ से काम नहीं लेते और फन्नी महारत का सबूत देने को काफ़ी समझते हैं और इसी रवैये को अपनाए रखते हैं तो आम मुसलमानों को उन की अन्धी तक़लीद (अन्धानुकरण) नहीं करना चाहिए । अल्लाह तआला ने आँखें भी दी हैं और ठीक ठाक अक़्ल से भी नवाज़ा है लिहाज़ा बे सिर पैर की रिवायतों को क़ुबूल करने से बचना चाहिए ।

ख़ुलासा यह कि हर रिवायत और हर हदीस, हदीसे रसूल नहीं है बल्कि हदीसे रसूल वह है जिस के रसूल का बयान होने की गवाही उस की सनदों से भी मिल रही हो और उस के मज़मून से भी। ऐसी ही हदीसें शरई तौर पर हुज्जत हैं जिन को क़ुबूल करना और जिन पर अमल करना वाजिब है ।

زیراہتمام: محمد صدیق قریشی
Pixel Arts
Mobile : 9820790615

printed at: BLOCK AGE
308-A Byculla, Service Industries
Dadaji Kondev Marg,
Sussex Road, Mumbai -27

इदारे की हिन्दी प्राकाशन

✹ दअवतुल क़ुर्आन

तफ़सीर; **शम्सपीरज़ादा (रह.)**

हिन्दीअनुवाद ; **मुहम्मद नसरुल्लाह**

जिल्द १	
(पारा१से पारा१०तक)सूरह फातिहा ता सुरह तौबा	३५०/-
जिल्द २	
(पारा ११ से पारा२०तक)सूरह यूनुस ता सूरह अंकबूत	३५०/-
जिल्द ३	
(पारा २१ से पार ३०तक)सूरह रूम ता सूरह नास	४८०/-

मौज़ूअ और ज़अीफ हदीसों का चलन	९/-
क्या क़ुरआन को समझ कर पढ़ना जरुरी नहीं	१०/-
तलाक़ कब और कैसे ?	६/-
सुनो अपने रब (पालनहार की)	२०/-
हुज्जियते हदीस और क्या हर हदीस, हदीसे रसूल है ?	२०/-
पारा अम्म	१२०/-

इदारा दअ्वतुल क़ुर्आन

५९-मुहम्मद अली रोड, मुंबई-४००००३

फोन ; 23465005